DELHI VIDHAN SABHA

COMMITTEE OF PRIVILEGES

(SECOND REPORT)

(Presented On 28-08-1997)

दिल्ली विधान सभा

विशेषाधिकार समिति

॥ द्वितीय प्रतिवेदन ॥

॥ 28-08-1997 को प्रस्तुत ॥

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT, DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली ।

गोपनीय

विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

....

विषय - सूची

क्र॰सं॰	विवरण
1॰	समिति का गठन
	भाग - 2
2॰	प्रस्तावना
3॰	प्रतिवेदन - मामले के तथ्य और विशेषाधिकार समितियों के संदर्भ
4॰	सिफारिशें

....

विशेषाधिकार समिति का गठन - 1996-97

....

1.	चौ. फतेह सिंह माननीय उपाध्यक्ष	सभापति
2.	श्री राजेन्द्र गुप्ता परिवहन मंत्री	सदस्य
3.	श्री साहब सिंह चौहान	सदस्य
4.	श्री जय प्रकाश यादव	सदस्य
5.	श्रीमती ताजदार बाबर	सदस्य
6.	श्री अजय माकन	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी.एन.गुप्ता	सचिव
2.	श्री पी.सी.अग्रवाल	उप सचिव
3.	श्री ए.के.पुरोहित	समिति अधिकारी

....

प्र स्ता व ना

मैं, सभापति, विशेषाधिकार समिति, दिल्ली विधान सभा, समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किये जाने पर, इसे सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

सर्वश्री राज कुमार चौहान, जय किशन, मुकेश शर्मा और श्रीमती कृष्णा तीरथ द्वारा सदन के विशेषाधिकार का हनन करने और उसकी अवमानना करने से संबंधित मामले को दिनांक 21·12·1995 को सदन द्वारा पारित एक प्रस्ताव पर समिति को संविधान की एक प्रति फाड़ने, कुर्सियों को तोड़ने, अध्यक्ष का माइक छीनने और सदन में हंगामा मचाने के संबंधने के संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच, विचार और कार्रवाई की सिफारिश करने हेतु समिति को सौंपा गया था । प्रस्ताव मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने हेतु दिनांक 21 दिसम्बर, 1995 को डा·हर्षवर्द्धन द्वारा प्रस्तुत किया गया था ।

समिति ने आवश्यक अभिलेखों की जांच की थी और सभी दोषी व्यक्तियों को समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मामले की सफाई देने का अवसर प्रदान किया था । इस उद्देश्य हेतु समिति की 12 बैठकें हुई थीं और उचित रूप से विचार-विमर्श करने तथा दस्तावेजी प्रमाणों की जांच के बाद समिति जिस निष्कर्ष पर पहुंची है वह इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है ।

समिति ने इस प्रतिवेदन पर दिनांक 5 मार्च, 1997 को सम्पन्न अपनी बैठक में विचार किया और इसे पारित किया ।

(चौ· फतेह सिंह)

सभापति

विशेषाधिकार समिति

दिल्ली विधान सभा

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

...

मामले से संबंधित तथ्य

दिनांक 20·12·1995 को लगभग 3·30 बजे अपराह्न जब माननीय अध्यक्ष ने मुख्य मंत्री से ज्वालाहेड़ी स्थित पी·वी·सी·मार्केट को हटाने के बारे में वक्तव्य देने के लिये कहा, उस समय कई सदस्यों ने शोर मचाना आरम्भ कर दिया । सर्वश्री राजकुमार चौहान,मुकेश शर्मा,जय किशन और श्रीमती कृष्णा तीरथ तथा कुछ अन्य सदस्य सदन के सभा मण्डप में आ गये । श्री राज कुमार चोहान मेज पर चढ़कर खड़े हो गये,उन्होंने संयुक्त सचिव के हाथ से संविधान की प्रति छीन ली और उसे फाड़कर हवा में उछाल दिया । उन्होंने एक कुर्सी भी उठाकर सभा मण्डप में फेंक दी । इसके साथ ही साथ दर्शक दीर्घा से कुछ दर्शकों ने परचे फेंकना और नारेबाजी करना आरंभ कर दी । अन्य सभी सदस्य जो सभा मंडप में आ गये थे,उन्होंने भी जोर-जोर से नारेबाजी आरम्भ कर दी । उनमें से भी कुछ लोगों ने अध्यक्ष महोदय से माइक छीन लिया था । इसलिये, सदन को स्थगित करना पड़ा । दर्शक दीर्घा से चार दर्शकों यथा-मनमोहन पुत्र माखन लाल, जितेन्द्र कुमार पुत्र हरफूल सिंह,विजय कुमार पुत्र भोरे लाल और राजीव चौहान पुत्र हरफूल सिंह को सुरक्षा कर्मियों द्वारा हिरासत में ले लिया गया । बाद में उसी दिन, सदन द्वारा एक प्रस्ताव पारित करने पर उन्हें 7 दिनों की अवधि के लिये साधारण कारावास की सजा दी गई । तत्पश्चात्, लगातार हो रही अंतरबाधाओं के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा ।

2· दिनांक 21 दिसम्बर,1995 को सदन समवेत हुआ और उसमें जिन सदस्यों ने हंगामा किया था,भारत के संविधान की प्रति टुकड़ों-टुकड़ों में फाड़कर फेंक दी थी और अध्यक्ष से माइक छीन लिया थिा,उनके आचरण की भर्त्सना की । डा·हर्षवर्धन ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

"कल दिनांक 20·12·1995 को सदन में कांग्रेस दल के चार माननीय सदस्यों श्री राज कुमार चौहान, श्री जय किशन, श्री मुकेश शर्मा तथा श्रीमती कृष्णा तीरथ ने सदन के कार्य में बाधाएं डाली, उन्होंने कार्य सूची फाड़ दी, कुर्सियां तोड़ी और अध्यक्ष महोदय का माइक भी छीना । माननीय सदस्य श्री राज कुमार चौहान ने संयुक्त सचिव से भारतीय संविधान की प्रति छीन कर फाड़ दी और हवा में उड़ा दी । इस प्रकार उन्होंने सदन की घोर अवमानना तथा सदन के विशेष अधिकारों का हनन किया । अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनके विरुद्ध सदन की अवमानना करने और सदन के विशेषाधिकारों का हनन करने का मामला सदन की विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये।"

3· माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और सदन के कथित विशेषाधिकार हनन और अवमानना से संबंधित प्रस्ताव जांच, अन्वेषण तथा मामले के विषय में प्रतिवेदन देने हेतु समिति को सौंपा गया ।

4· आरम्भ में समिति ने इच्छा व्यक्त की कि सदस्यों को लिखित में अपने मामले की पैरवी करने का अवसर प्रदान किया जाये । तदनुसार, सदस्यों से अपने मामले को लिखित रूप से स्पष्ट करने के संबंध में सचिव को समिति द्वारा यथा-अनुमोदित पत्र सभी संबंधित सदस्यों को भेजने के लिये अधिकृत किया गया।

5· पत्र संख्या-15﴾9﴿/95-पी/वीएस दिनांक 15·3·1996 के जरिये सभी चारों सदस्यों को अपना लिखित उत्तर दिनांक 26·3·1996 तक देने के लिये अनुरोध किया गया था ।

6· इस तारीख तक किसी भी सदस्य से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । तथापि, श्री मुकेश शर्मा ने दिनांक 2·4·1996 के अपने पत्र के जरिये अपना उत्तर भेज दिया था । दिनांक 8·5·1996 के पत्र सं· 15﴾9﴿/95-पी/वीपस/145-149 के द्वारा शेष तीनों सदस्यों को पुनः स्मरण दिलाते हुए 20 मई, 1996 तक अपना उत्तर देने का अनुरोध किया गया था । श्रीमती कृष्णा तीरथ ने 13·5·1996 को उत्तर दिया और श्री जय किशन ने 14 मई, 1996 को । श्री राज कुमार चौहान ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया ।

7· समिति की एक बैठक 4·6·1996 को सम्पन्न हुई थी और समिति ने निर्णय किया था कि प्रत्येक विधायक को भी सुनवाई के लिये बुलाया जाये ।

8· तदनुसार, श्री राज कुमार चौहान को 27·6·1996 को बुलाया गया । उन्होंने उसी दिन अपना लिखित उत्तर दिया और उसी दिन उनके वक्तव्य को भी समिति द्वारा दर्ज किया गया । समिति ने श्री जय किशन का बयान 12·8·1996 एवं 13·8·1996 को दर्ज किया । श्री मुकेश शर्मा का बयान 2·9·1996 को दर्ज किया गया । श्रीमती कृष्णा तीरथ समिति के समक्ष 12·9·96 को उपस्थित हुईं और उनका बयान भी उसी दिन दर्ज किया गया ।

9·(क) श्री जय किशन ने अपने बयान में कहाकि ज्वालाहेड़ी पी·वी·सी·मार्किट के बारे में 20·12·1995 को काफी उत्तेजना थी । वे चाहते थे कि इस विषय पर चर्चा की जाये और इस मुद्दे पर उनकी भी बातों को सुना जाये । इसीलिए वह सभा मंडप में गये थे । सदन की अवमानना करने का उनका इरादा नहीं था । वह सदैव सदन की मर्यादा बनाये रखने का प्रयास करेंगे और जो कुछ भी उस दिन हुआ था उसके लिये उन्होंने खेद व्यक्त किया ।

9·(ख) 12 और 13 अगस्त, 1996 को दर्ज कराये गये अपने मौखिक वक्तव्य में उन्होंने अपने बयान को पुनः दोहराया और आगे यह कहाकि उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया था और वह भारत के संविधान का आदर करते हैं । वह अध्यक्ष महोदय को अपने अधिकारों का रक्षक मानते हैं । उन्होंने आगे यह भी कहाकि अगर उन्होंने कोई गलती की हो तो वह उसके लिये क्षमा याचना करने के लिये तैयार हैं और वह भी न केवल एक बार बल्कि सैकड़ों बार । उन्होंने यह भी कहाकि उन्होंने अध्यक्ष से माइक नहीं छीना था । श्री जयकिशन ने अपने बयान में आगे स्वीकार किया कि यद्यपि मुख्य मंत्री ने ज्वालाहेड़ी के बारे में 20 तारीख को वक्तव्य देना आरम्भ किया था, फिर भी वह लोग उन्हें सुनने के लिये तैयार नहीं थे । बल्कि वे चाहते थे कि पहले उन्हें सुना जाये और इसीलिये वह शोर मचा रहे थे । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सदन की कार्यवाही न केवल उनके द्वारा रोकी गई थी बल्कि ऐसा अन्य कई लोगों ने भी किया था । उन्होंने इसके साथ ही सदन में उस दिन जो कुछ भी घटित हुआ था उसके लिये खेद व्यक्त किया ।

10-(क) श्री मुकेश शर्मा ने अपने लिखित बयान में कहा है कि कांग्रेस विधायी दल 20 दिसम्बर, 1995 को पी-वी-सी-मार्किट के बारे में चर्चा कराये जाने की मांग कर रहा था । सरकार इसके लिये तैयार नहीं थी । इसका विरोध करते हुए कांग्रेस दल के अधिकांश सदस्य सदन के सभा मंडप में आ गये थे । इस तरह का विरोध कई बार अन्य सदस्यों द्वारा भी किया गया है । उन्होंने आगे यह भी कहाकि उन्होंने सदन की किसी भी प्रकार की अवमानना नहीं की है न ही सदन की मर्यादा को उन्होंने घटाया है । उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके व्यवहार को आपत्तिजनक माना जाता है तो इसके लिये उन्हें दुख है ।

10-(ख) श्री मुकेश शर्मा 2 सितम्बर, 1996 को समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हुए थे तथा उनके बयान को दर्ज किया गया था । श्री मुकेश शर्मा ने अपने बयान में इस घटना में अपनी भागीदारी से बार-बार इन्कार किया और इससे भी इन्कार कियाकि परचे फेंकने, दर्शक दीर्घा से नारे लगाने सहित यह सारी घटना कांग्रेस दल के विधायकों द्वारा पूर्व नियोजित थी । उन्होंने यह भी कहाकि श्री राज कुमार चौहान और श्री जय किशन बुरी तरह उत्तेजित थे, किन्तु वह स्थिति पर काबू रखने का प्रयास कर रहे थे । उन्होंने यह भी कहाकि वह सदन की अवमानना करने कीया उसकी मर्यादा को घटाने की दृष्टि से सदन के सभा मंडप में नहीं आये थे । उन्होंने आगे यह भी कहाकि उन्होंने सदैव सदन का आदर किया है और हमेशा इसका आदर करते रहेंगे । लेकिन फिर भी यदि समिति को महसूस होता है कि उनका आचरण गलत था या उनके आचरण से सदन या अध्यक्ष के प्रति किसी प्रकार की अनादर की भावना व्यक्त होती है तो उसके लिये उन्हें खेद है ।

11-(क) श्रीमती कृष्णा तीरथ ने अपने लिखित वक्तव्य में कहा है कि सदन में उस दिन ज्वालाहेड़ी मार्किट को लेकर उत्तेजना का माहौल था । सदस्यगण चाहते थे कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाये तथा उन्हें पहले सुना जाये । इसी उत्तेजना के कारण वह सदन के सभा मंडप में आई थी । सदन की अवमानना करने का उनका

·कोई इरादा नहीं था बल्कि उन्होंने हमेशा सदन की मर्यादा बनाये रखने की ही चेष्टा की है । उन्होंने आगे यह भी कहाकि जो कुछ भी उस दिन घटित हुआ था उसके लिये मैं खेद व्यक्त करती हूं ।

11·(ख) श्रीमती कृष्णा तीरथ भी समिति के समक्ष 12·9·1996 को उपस्थित हुई थीं और उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया था । श्रीमती कृष्णा तीरथ ने अपने बयान में इस बात से इन्कार किया कि उन्होंने सदन में अव्यवस्था उत्पन्न करने की कोई पूर्व योजना बनाई थी । उन्होंने इससे भी इन्कार कियाकि उन्होंने जान-बूझकर सदन की अवमानना की थी तथा उसकी मर्यादा को घटाया था । तथापि, उन्होंने पुनः इस बात को दोहराया कि कांग्रेस दल के सदस्यगण क्षुब्ध थे और वे इसीलिये सदन के सभा मंडप में आ गये थे ताकि पी·वी·सी·मार्किट,ज्वालाहेड़ी से संबंधित मुद्दे पर सदन में पहले चर्चा करायी जाये । किन्तु मुख्य मंत्री ने आग्रह किया था कि पहले वे वक्तव्य देंगे और उसके बाद ही इस विषय पर चर्चा होगी । माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी यही व्यवस्था दी थी कि पहले मुख्य मंत्री वक्तव्य देंगे । उन्होंने यह भी कहाकि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि दर्शक दीर्घा से जिन लोगों ने परचे फेंके थे उनमें से एक व्यक्ति के प्रवेश-पत्र पर उन्होंने सिफारिश की थी । उन्होंने बताया कि उनके पास दस्तखत कराने के लिये जाने कितने लोग आते रहते हैं । उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि जिस व्यक्ति के प्रवेश-पत्र पर उन्होंने सिफारिश की थी,उन्हें वे जानती हैं । उन्होंने कहाकि उन्होंने राज कुमार चौहान को सदन में किताबें फाड़ते हुए नहीं देखा। तथापि,उन्होंने उस दिन उत्तेजनावश या रोष के कारण जो कुछ भी सदन में घटित हुआ था,उसके लिये खेद व्यक्त किया ।

12·(क) श्री राज कुमार चौहान ने 27·6·1996 के अपने पत्र में कहा है कि यदि सदन ने आरम्भ में ही स्वयं मुद्दे पर चर्चा कर ली होती तो 20 तारीख की घटना हुई थी,उसे रोका जा सकता था । उन्होंने आगे यह भी कहाकि इसमें हजारों गरीब लोगों और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की आजीविका का प्रश्न निहित था और इसीलिये ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचित सदस्य होने के नाते बुरी तरह उत्तेजित और भावुक होना स्वाभाविक ही है । उन्होंने आगे यह भी कहा कि यदि उस दिन सदन की मर्यादा के विरुद्ध कुछ भी घटित हुआ हो तो उसके लिये वे खेद व्यक्त करते हैं ।

12·(ख) शपथ दिलाकर उनसे पूछताछ भी की गई । अपने बयान में उन्होंने पहले की ही बातों को दोहराया और आगे कहाकि इस मार्किट में लगभग 40-42 हजार व्यक्ति काम कर रहे थे और ये सभी लोग अनुसूचित जाति की श्रेणी से संबंधित थे । वे भी वहां अपना व्यापार करते थे । इस सारे व्यापार पर रोक लगा दी गई है और जब उन्होंने इस पर चर्चा कराने के लिये अनुरोध किया तो उसे स्वीकार भी कर लिया गया । जब उन्हें बोलने की अनुमति दी गई तो सारा विवाद सुलझ गया था । हालांकि, लोगों को बसाने का काम अभी भी बाकी पड़ा हुआ है । श्री राज कुमार चौहान ने आगे भारत के संविधान की प्रति फाड़ने से इन्कार किया। उन्हें सदन के अभिलेख(रिकार्ड) दिखाये गये जिनमें उनके द्वारा संविधान की प्रति फाड़े जाने का उल्लेख किया गया था । इस बात पर उन्होंने कहाकि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि उस मेज पर संविधान की प्रति रखी हुई थी । यह पूछे जाने पर कि, "क्या वह संविधान को फाड़े जाने के बारे में जांच करना चाहेंगे और इसके लिये संयुक्त सचिव,जिनके पास यह पुस्तक थी उन्हें जिरह के बुलाया जा सकता है", उन्होंने उनको बुलाने की बात नहीं की । इसके विपरीत उन्होंने कहाकि सदन पटल पर संविधान की प्रति नहीं थी । बार-बार प्रश्न करने पर श्री राज कुमार चौहान लगातार यही कहते रहें कि उन्होंने जान-बूझकर संविधान को नहीं फाड़ा था ।

13· समिति ने सारे मुद्दे पर विचार किया है और उसने सारे अभिलिखित साक्ष्यों और दस्तावेजों का अध्ययन किया है । 20 दिसम्बर,1995 की घटनाएं अचानक घटित हुई घटनाएं नहीं हैं बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि इनके बारे में पहले से सोच-विचार किया गया था तथा पूर्व योजना बनाई गई थी । कार्यवाही देखने से यह पता चलता है कि श्री राज कुमार चौहान,श्री जय किशन,श्री मुकेश शर्मा और श्रीमती कृष्णा तीरथ सहित कांग्रेस दल के कुछ सदस्य तथा अन्य लोग सदन के सभा मंडप में आये थे और उन्होंने अभूतपूर्व दृश्य उत्पन्न कर दिया था, किसी ने अध्यक्ष का माइक छीन लिया,श्री राज कुमार चौहान सदन की मेज पर चढ़ गये और संयुक्त सचिव के हाथ से संविधान की प्रति छीन ली और उसे फाड़कर हवा में उछाल दिया । गुस्से में आकर उन्होंने एक कुर्सी भी फेंक दी । उस समय स्टाफ के सदस्यों की सुरक्षा को पूरा खतरा पैदा हो गया था । कुछ लोग दर्शक दीर्घा से जोर-शोर से नारे बाजी करने लगे

और परचे भी फेंके । उनमें से चार लोगों को सुरक्षा कर्मियों द्वारा नजरबन्द किया गया जिन्हें बाद में सदन की अवमानना करने के लिये सदन द्वारा 7 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई । यहां उल्लेख करना गैर मुनासिब नहीं होगा कि दर्शक दीर्घा से नजरबन्द किये गये दोषियों में से एक श्री मनमोहन, श्री राज कुमार चौहान के सगे भाई हैं और अन्य लोगों के बारे में बताया गया है कि वे उनके रिश्तेदार हैं ।

14·(ङ) समिति ने महाराष्ट्र विधान सभा में घटित घटनाओं पर विचार किया। इस मामले में 12 अगस्त, 1964 को बम्बई नगर निगम अधिनियम में आगे संशोधन करने के लिये हो रही चर्चा के दौरान श्री जे·बी·धोते, सदस्य ने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली थी और लाउड स्पीकर परिचालक के ऊपर अपने माइक को लाउड स्पीकर से जोड़ने के लिये चिल्लाये थे । श्री धोते ने परिचालक की ओर पेपरवेट भी फेंका था और अपने आसन से कूदकर अध्यक्ष के सामने रखे माइक्रोफोन को छीन लिया था श्री धोते को तब मार्शल द्वारा अध्यक्ष के आदेश पर सदन से बाहर निकाल दिया गया था ।

14·(ख) 13 अगस्त, 1964 को, अध्यक्ष (श्री टी·एस·भद्रे) ने सदन को सहायक पुलिस आयुक्त, बम्बई से प्राप्त दिनांक 12 अगस्त, 1964 के निम्नलिखित पत्र के बारे में सूचना दी :-

> "श्री जाम्बवन्त राव बापूराव धोते, विधायक, महाराष्ट्र राज्य को कोलाबा पुलिस थाने सी·आर·संख्या 434 और 435 के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा क्रमशः 353, 333, 426 और 307 के अंतर्गत दिनांक 12 अगस्त, 1964 को 5·00 बजे सायं गिरफ्तार कर लिया गया । ये मामले आज काउंसिल हॉल बिल्डिंग में हुई वारदातों के संबंध में दर्ज किये गये हैं ।
>
> इन मामलों के अंतिम निपटारे के परिणामों की जानकारी आपको यथासमय दे दी जायेगी ।"

14·(ग) उसी दिन यानी 13 अगस्त,1964 को मुख्य मंत्री व सदन के नेता (श्री वी·पी·नायक) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि 12 अगस्त,1964 को इस सदन के सदस्य श्री जे·बी·धोते के पूर्ण रूप से उच्छृंखल आचरण को देखने के बाद और माननीय अध्यक्ष व माननीय सदन के प्रति किये गये अशिष्टतापूर्ण और अपमानजनक आचरण से इस सदन को गहरा आघात व अपमान महसूस हुआ है । यह सदन और अध्यक्ष की गम्भीर अवमानना थी ।"

14·(घ) अतः सदन एतद्द्वारा यह संकल्प करता है कि कथित श्री जे·बी·धोते सदन से सारांशतः निष्कासन के पात्र हैं और आदेश देता है कि उन्हें तदनुसार सदन से निष्कासित कर दिया जाये ।

14·(ड·) माननीय अध्यक्ष ने जिन उपर्युक्त परिस्थितियों में सहनशीलता और गौरव के साथ आचरण किया, उसकी यह सदन प्रशंसा करता है ।

14·(च) एक अन्य सदस्य,श्री एफ·एम·पिन्टो ने इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत किया कि श्री धोते को निलंबित कर दिया जाये तथा उनके मामले की, मुख्य मंत्री,गृह मंत्री,विधि मंत्री,वित्त मंत्री,श्री के·एन·धुलुप,श्री वी·एस·दांडेकर एवं श्री पी·डी·बाघनदबे सहित गठित एक समिति द्वारा समीक्षा की जाये ।

14·(छ) थोड़ी बहुत बहस के बाद श्री पिन्टो द्वारा प्रस्तुत संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया और मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल प्रस्ताव को पारित कर लिया गया ।

14·(ज) श्री धोते के निष्कासन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के पारित होने पर दिनांक 14 अगस्त,1964 के महाराष्ट्र सरकार के (असाधारण) राजपत्र में महाराष्ट्र विधान सभा में श्री धोते के स्थान को खित घोषित करते हुए निम्नलिखित अधिसूचना प्रकाशित की गई :-

"14964-ई· यवतमाल निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य श्री जाम्बवन्तराव बापूराव जी धोते को सदन से निष्कासित किये जाने हेतु दिनांक 13 अगस्त, 1964 को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित संकल्प के परिणामस्वरूप श्री धोते, दिनांक 13 अगस्त, 1964 की दोपहर से विधान सभा के सदस्य नहीं रहे ।"

15· उपर्युक्त मामले पर चर्चा करते समय समिति को महसूस हुआ कि भारत के संविधान की प्रति फाड़ने, सदन के सभा मंडप में कुर्सी फेंकने और सदन में सरेआम अशोभनीय दृश्य उत्पन्न करने की श्री राज कुमार चौहान की कार्रवाई बहुत गम्भीर प्रकृति की थी जिसके संदर्भ में सदस्य के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करने की आवश्यकता है । समिति ने इस तथ्य पर गंभीरतवेया अपनाया कि भारत का संविधान, जो अत्यन्त पवित्र माना जाता है तथा जिसके अंतर्गत किसी सार्वजनिक कार्यालय में कोई जिम्मेदारी सम्भालते समय प्रत्येक व्यक्ति निष्ठा की शपथ लेता है, उसकी प्रति को फाड़ने की कार्रवाई को हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता ।

16· समिति ने आगे गम्भीर चिन्ता के साथ इस बात पर भी चिन्तन कियाकि सदन की पवित्रता को, सदन में बाधाएं उत्पन्न करने की योजना बनाने का षडयंत्र करके चोट पहुंचाई गई थी । सदन की कार्यवाही में यह बात दर्ज है कि दर्शक दीर्घा से परचे फेंके गये और नारे भी लगाये गये थे । नजरबन्द किये गये व्यक्तियों में से एक श्री राज कुमार चौहान का सगा भाई है तथा अन्य उनके रिश्तेदार हैं । जिससे यह संकेत मिलता है कि सदन की कार्यवाही को न चलने देने के बारे में पूर्व निश्चय कर लिया गया था । जिससे स्पष्ट रूप से सदन की गरिमा और मर्यादा को ठेंस पहुंचती है ।

17· सारी घटनाओं पर उसकी सम्पूर्णता में : मसलन, संविधान की प्रति फाड़ना, सदन के सभामंडप में कुर्सी फेंकना, माननीय अध्यक्ष का माइक छीनने, दर्शक दीर्घा से श्री राज कुमार चौहान के रिश्तेदारों के रूप में पहचाने गये व्यक्तियों द्वारा

परचे फेंकने और नारेबाजी करने आदि पर विचार करने के बाद समिति सिफारिश करती है कि घोर अमर्यादित आचरण करने और जानबूझ कर सदन के कार्यों में बाधा पहुंचाने तथा अन्य सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर षडयंत्र रखने तथा संविधान की प्रति फाड़ने और सदन की घोर अवमानना करने तथा इसकी मर्यादा को घटाने के लिये श्री राज कुमार चौहान को सदन से निष्कासित कर दिया जाये । यह सम्पूर्ण आचरण निन्दनीय है तथा जिसकी इस महान सदन के किसी सदस्य से अपेक्षा नहीं की जाती है ।

18· जहां तक अन्य दोषी व्यक्तियों यथा सर्वश्री जयकिशन, मुकेश शर्मा और श्रीमती कृष्णा तीरथ का संबंध है, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उन्होंने भी स्वेच्छा से सारी कार्यवाही में भाग लिया था और जानबूझ कर सदन की मर्यादा को घटाया था । इस सम्पूर्ण घटना में उन्होंने भी सह-षडयंत्रकारियों की तरह कार्यवाही की थी। हालांकि उन्होंने इस घटना के ऊपर खेद व्यक्त किया है, किन्तु इससे वह दुराचरण और सदन की मर्यादा को घटाने की निन्दनीय कार्य के आरोप से बरी नहीं हो जाते हैं । उचित विचार-विमर्श के बाद समिति सिफारिश करती है कि श्री जय किशन, श्री मुकेश शर्मा और श्रीमती कृष्णा तीरथ को सदन से दो सप्ताह की अवधि के लिये ~~निष्कासित~~ निलम्बित कर दिया जाये ।

19· माननीय अध्यक्ष ने जिस तरह उपर्युक्त परिस्थितियों के अंतर्गत सहनशीलता और गरिमा के साथ आचरण किया, समिति उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती है ।

(चौ· फतेह सिंह)

सभापति

विशेषाधिकार समिति ।

DELHI VIDHAN SABHA

COMMITTEE OF PRIVILEGES

(SECOND REPORT)

PRESENTED ON 28-08-1997

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT, DELHI

SECOND REPORT BY THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

C O N T E N T S

S.NO.	DESCRIPTION
1.	Composition of the Committee.

P A R T - II

2.	Introduction.
3.	Report - Facts of the Case and Reference to the Committee of Privileges.
4.	Recommendations.

COMPOSITION OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES 1996-97

1.	Ch. Fateh Singh Deputy Speaker	Chairman
2.	Shri Rajendra Gupta Minister of Transport	Member
3.	Shri Sahab Singh Chauhan	Member
4.	Shri Jai Prakash Yadav	Member
5.	Smt. Tajdar Babar	Member
6.	Shri Ajay Maken	Member

SECRETARIAT

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri P.C. Agarwal	Deputy Secretary
3.	Shri A.K. Purohit	Committee Officer

INTRODUCTION

I, the Chairman of the Committee of Privileges of Delhi Vidhan Sabha, having been so authorised to present this Second Report of the Committee, do present the same to the House.

The matter regarding breach of privilege and contempt of the House committed by S/Shri Raj Kumar Chauhan, Jai Kishan, Mukesh Sharma and Smt. Krishna Tirath was referred to the Committee on a motion adopted by the House on 21-12-95, for examination, consideration and recommending action against the contemners regarding tearing of a copy of the Constitution of India, breaking of chairs, snatching of mike from the Speaker and hoodlum created in the House. The motion was moved by Dr. Harsh Vardhan on 21st December, 1995 for referring the matter to the Privileges Committee.

The Committee examined the relevant records, had given opportunity to all the contemners to appear and explain their case in person before the Committee. For this purpose the Committee held meetings 12 times and after due deliberations and examination of the evidence on record have come to the conclusion which is as per the Report attached.

The Committee considered and adopted this Report in its sitting held on 5th March, 1997.

(CH. FATEH SINGH)
CHAIRMAN
COMMITTEE OF PRIVILEGES

REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES
DELHI VIDHAN SABHA

Facts of the Case:

On 20-12-95 at about 3.30 P.M. when Speaker asked the Chief Minister to make a statement about shifting of PVC Market of Jwalaheri, at that moment several members started making noise. S/Shri Raj Kumar Chauhan, Mukesh Sharma, Jai Kishan and Smt. Krishna Tirath and some other members came to the well of the House. Shri Raj Kumar Chauhan stood on the table, snatched a copy of the Constitution of India from the hands of Joint Secretary and tore it and flung it into air. He also threw a chair in the well. Simultaneously, some visitors from the Visitors' Gallery started throwing leaflets and shouting slogans. All other members who came into the well of the House also started shouting slogans. Some of them also snatched the mike from the Speaker. The House had to be adjourned. Four persons from the Visitors' Gallery viz. Manmohan S/o. Makhan Lal, Jitender Kumar S/o. Harphool Singh, Vijay Kumar S/o. Bhore Lal and Rajiv Chauhan S/o. Harphool Singh were taken into custody by the watch and ward staff. Later in the day, on a motion being adopted by the House, they were sentenced to undergo simple imprisonment for a period of 7 days. The House had to be adjourned thereafter because of continued disruptions.

2. On 21st December, 1995 the House assembled and condemned the behaviour of the members who created hoodlum, tore to pieces the Constitution of India and snatched the mike from the Speaker. Dr. Harsh Vardhan moved the following motion:-

Contd.....2

"Yesterday the 20th December, 1995, four Hon'ble members belonging to the Congress Party namely; S/Shri Raj Kumar Chauhan, Jai Kishan, Mukesh Sharma and Smt. Krishna Tirath obstructed the proceedings of the House, tore up the copies of the agenda, broke some chairs and snatched mike from the Hon'ble Speaker. One Hon'ble member namely Shri Raj Kumar Chauhan snatched a copy of the Constitution of India, tore it and flung it into the air, thus committed the breach of privilege and contempt of the House. Accordingly, I move the motion that this matter of breach of privilege and contempt of the House be referred to the Privileges Committee of the House."

3. The motion was put to vote by Hon'ble Speaker and the motion regarding alleged breach of privilege and contempt of House was referred to the Committee of Privileges for examination, investigation and report on the matter.

4. At the outset the Committee desired that the members should be given an opportunity to explain their case in writing. Accordingly, the Secretary was authorised to write letters as approved by the Committee to the members asking them to put their case in black and white.

5. All the four MLAs were requested vide letter No.15(9)/95-P/VS dated 15-3-96 to submit their written reply by 26-3-96.

6. No reply was received from any of the members upto this date. Shri Mukesh Sharma, however, submitted his reply vide his letter dated 2-4-96. The remaining 3 members were again reminded vide letter No.15(9)/95-P/VS/145-149 dated 8-5-96 and requested to submit their reply by 20th May'96. Smt. Krishna Tirath submitted her reply on 13-5-96 and Shri Jai Kishan submitted his reply on 14th May'96. Shri Raj Kumar Chauhan, however, did not submit his reply.

Contd.....3

7. A meeting of the Committee was held on 4-6-96 and the Committee decided that each of the MLAs be also called for personal hearing.

8. Accordingly, Shri Raj Kumar Chauhan was called on 27-6-96. He submitted his written reply on that date and his statement was also recorded by the Committee on that date. The Committee recorded the statement of Shri Jai Kishan on 12-8-96 and 13-8-96. The statement of Shri Mukesh Sharma was recorded on 2-9-96. Smt. Krishna Tirath appeared before the Committee on 12-9-96 and her statement was recorded on the same date.

9 (a). Shri Jai Kishan in his statement has stated that on 20-12-95 there was lot of excitement about the PVC Market of Jwalaheri. He wanted that this should be discussed and they be heared on this issue. He went into the well of the House. He did not intend to commit the contempt of House. He will always try to maintain the dignity of the House and whatever happened on that date, he expressed regret for the same.

9 (b). In his verbal statement recorded on 12th and 13th August'96 he reiterated his statement and further stated that he did not use even one word against the Hon'ble Speaker and he respects the Constituion of India. He takes Hon'ble Speaker as the custodian of his rights. He further stated that if he has committed any wrong, he is prepared to apologise for the same, not once but a hundred times. He also stated that he did not snatch the mike from Speaker. Shri Jai Kishan in his statement has further admitted that though the Chief Minister started making statement on 20th about Jwalaheri, yet they were not prepared to listen to him and wanted that they should be heard first and so they were shouting. He further admitted that the

Contd.....4

proceedings of the House were stalled not only by him but by several others. He further expressed his regrets for whatever happened on that day in the House.

10 (a). Shri Mukesh Sharma in his written statement has stated that the Congress Legislature Party was asking for a debate about the PVC Market on 20th December, 1995. The Government was not prepared for this. Most of the members of the Congress Party, while protesting, entered into the well of the House. This type of protest has been made on number of occasions by other members as well. He further stated that he has not committed any contempt of the House or lowered the dignity of the House. He also stated that if his conduct is considered as objectionable, he feels sorry for the same.

10 (b). Shri Mukesh Sharma also appeared in person before the Committee on 2nd September, 1996 and his statement was recorded. Shri Mukesh Sharma in his statement repeatedly denied his involvement and also denied that the entire episode including throwing of leaflets, shouting of slogans from Visitors' Gallery was pre-planned by Congress Party MLAs. However, he admitted that some leaflets were thrown and slogans were raised from Visitors' Gallery. He also stated that Shri Raj Kumar Chauhan and Shri Jai Kishan were highly agitated but he was trying to control the situation. He also stated that he did not enter the well of the House with a view to commit contempt of the House or to lower the dignity of the House. He further stated that he has always respected the House and will always respect the same and even if the Committee feels that his conduct was wrong or because of his conduct some disrespect has been shown to the House or to the Chair he regrets the same.

Contd.....5

11 (a). Smt. Krishna Tirath in her written statement has stated that there was excitement in the House about the PVC Market of Jwalaheri. Members wanted that the issue should be discussed and they should be heard first. That in excitement she entered the well of the House. She had no intention of committing contempt of the House and she has always tried to keep the dignity of the House and she further stated that she expresses her regrets for whatever has happened on that date.

11 (b). Smt. Krishna Tirath also appeared before the Committee on 12-9-96 and gave her explanations and clarifications. Smt. Krishna Tirath in her statement denied that she had pre-planned the disturbances in the House. She also denied that she deliberately committed the contempt of the House and lowered the dignity of the House. However, she again reiterated that the members of the Congress Party were agitated and they entered the well of the House as they wanted that the issue regarding PVC Market Jwalaheri be discussed first in the House. But the Chief Minister insisted that he will first make a statement and then only discussion will take place. The Hon'ble Speaker also ruled that the Chief Minister will first make a statement. She also stated that she is not aware that one of the visitors who threw the leaflets in the House got admission with a Pass recommended by her. She stated that a number of persons come to her for getting signatures. She denied that she knew the person for whom she had recommended the Pass. She stated that she did not see Raj Kumar Chauhan tearing the books in the House. However, she expressed her regrets for whatever happened on that day due to excitement or in anger.

Contd.....6

12 (a). Shri Raj Kumar Chauhan in his letter dated 27-6-96 has stated that had the House discussed the issue in the beginning itself the incident of 20th could have been avoided. He has further stated that the question of livelihood of thousands of poor and scheduled castes was involved and it is but natural for a member elected from such a constituency to be highly agitated and emotional. He has further stated that if on that day something has occurred against the dignity of the House, he expresses his regrets for the same.

12 (b). He was also examined on oath. In his statement he has reiterated the same and further stated that in this market about 40-42 thousand persons were working and all of them belonged to scheduled caste category. He has also got his trade there. The entire trade has been banned and when they requested for a discussion the same was acceded to. When they were allowed to speak the entire dispute was settled even though the settlement of the persons still remains. Shri Raj Kumar Chauhan further denied that he has torn the Constitution of India. He was confronted with the record of the House where it was mentioned that the Constitution was torn by him. To this he stated that he is not aware how the Constitution was placed on that table. On a query, "whether he would like to inquire about the tearing of the Constitution and the Joint Secretary who was having it could be called for cross examination", he did not ask for his presence. On the contrary he stated that there was no Constitution on the Table of the House. To repeated questions, Raj Kumar continued saying that he did not deliberately tear the Constitution.

Contd.....7

13. The Committee has considered the entire issue, gone through the entire evidence on record and the documents. The events of 20th December, 1995 are not an act in isolation but seems to be pre-meditated and pre-planned. It is on record that some members of the Congress Party including Shri Raj Kumar Chauhan, Shri Jai Kishan, Shri Mukesh Sharma and Smt. Krishna Tirath and others came into the well of the House and created the unprecedented scene; someone snatched the mike of the Speaker; Shri Raj Kumar Chauhan stood on the Table of the House, snatched the copy of the Constitution from the hands of the Jt. Secretary and tore it and flung it into the air. He also threw a chair in outrage. There was complete danger to the safety of the staff. Some members started shouting slogans from the Visitors' Gallery and also threw pamphlets. Four of them were detained by the watch and ward staff, who were later sentenced by the House to undergo simple imprisonment for 7 days for contempt of the House. It may not be out of place to mention here that Shri Man Mohan, one of the contemners detained from Visitors' Gallery is a real brother of Shri Raj Kumar Chauhan and others are reported to be related to him.

14.(a). The Committee considered the happenings which took place in the Maharashtra Legislative Assembly. In this case on 12th August, 1964, during the discussion on the Bill further to amend the Bombay Municipal Corporation Act, Shri J.B. Dhote, a member, obstructed the proceedings of the House and shouted at the Loud Speaker Operator to connect his mike to the loud speaker. Shri Dhote also threw a paper weight in the direction of the Loud Speaker Operator and jumped from his seat towards the Speaker and grabbed the Microphone in front of the Speaker. Shri Dhote was then removed from the House by the Marshal under orders of the Speaker.

Contd....8

14 (b). On the 13th August, 1964, the Speaker (Shri T.S. Bhadre) informed the House of the receipt of the following letter dated 12th August, 1964 from the Assistant Commissioner of Police, Bombay:-

> "Shri Jambuwantrao Bapurao Dhote, MLA, Maharashtra State, was arrested at 5.20 PM on 12th August, 1964, in connection with Colaba Police Station C.R. Nos. 434 and 435 under Section 353, 333, 426 IPC and 307 IPC respectively. These cases have been registered in respect of incidents which occured in Council Hall Building today.
>
> The results of the final disposal of the cases will be intimated to you in due course."

14 (c). On the same day i.e. the 13th August, 1964, the Chief Minister and Leader of the House (Shri V.P. Naik) moved the following motion:-

> "That this House having witnessed on 12th August, 1964, the grossly disorderly conduct of Shri J.B. Dhote, a member of this House, places on record its profound sense of shock and indignation at the discourtesy and indignity offered to the person of the Hon'ble Speaker and the Hon'ble House as a whole. This was a gross contempt of the House and the Speaker."

14 (d). The House, therefore, hereby resolves that the said Shri J.B. Dhote deserves summary expulsion from the House and orders that he be expelled accordingly.

14 (e). The House places on record its high sense of appreciation of the forbearance and dignity with which the Hon'ble Speaker conducted himself under the circumstances aforesaid.

Contd.....9

14 (f). Shri F.M. Pinto, another member, moved an amendment to the effect that Shri Dhote be suspended and his case be reviewed by a Committee consisting of Chief Minister, Home Minister, Law Minister, Finance Minister, Shri K.N. Dhulup, Shri V.S. Dandekar and Shri P.D. Bahangdabe.

14 (g). After some debate, the amendment moved by Shri Pinto was negatived and the original motion moved by the Chief Minister expelling Shri Dhote from the membership of the House was adopted.

14 (h). On the adoption of the motion for expulsion of Shri Dhote, the following notification was published in the Maharashtra Government Gazette (Extraordinary) dated the 14th August, 1964, declaring Shri Dhote's seat vacant in the Maharashtra Legislative Assembly:-

> "No. 14964-E. Consequent upon the adoption of the resolution by the Maharashtra Legislative Assembly on 13th August, 1964, expelling from the House, Shri Jambuwantrao Bapuraoji Dhote, a member elected to the Maharashtra Legislative Assembly from Yeotnal Constituency, he has ceased to be a member of the said Assembly with effect from 13th August, 1964, afternoon."

15. The Committee while discussing the above case felt that the act of Shri Raj Kumar Chauhan in tearing the copy of the Constitution of India, throwing chair in the well of the House, creating unruly scenes in the House in full view of the House were of a very grave nature and called for deterrent action against the member. The Committee took a serious view of the fact that tearing of the copy of the Constitution of India which is sacrosanct and under which everyone takes oath of allegiance while entering upon a public office, cannot be treated lightly.

16. The Committee further noted with grave concern that the very sanctity of the House was threatened by conspiring and planning the disturbances in the House. It is on record that leaflets were thrown from the Visitors' Gallery and slogans were also shouted. One of the persons detained is the real brother of Shri Raj Kumar Chauhan and others are related to him, which clearly indicates pre-determination not to allow the functioning of the House which clearly undermines the dignity and prestige of the House.

17. After considering the whole event in its totality, such as tearing of the copy of the Constitution, throwing of chair in the well of the House, snatching of mike from the Hon'ble Speaker, pre-planning the incident of throwing leaflets and shouting of slogans from the Visitors' Gallery by persons identified as relations of Shri Raj Kumar Chauhan, the Committee recommends that Shri Raj Kumar Chauhan, may be expelled from the House for his gross disorderly conduct and wilfully obstructing its business and hatching the conspiracy with other members and outsiders and tearing of the Constitution Book and committing gross contempt of the House and lowering its dignity. The entire conduct is condemnable, unbecoming of a member of the August House.

18. As regards other contemners namely S/Shri Jai Kishan, Mukesh Sharma and Smt. Krishna Tirath, the Committee has come to the conclusion that they also participated in the entire act willingly and deliberately lowered the dignity of the House. They also acted as co-conspirators in the entire episode. Though they have expressed regrets over the incident, but it does not absolve them of the misconduct and mal-acts of lowering the dignity of the House. The Committee after due deliberations recommends that

Shri Jai Kishan, Shri Mukesh Sharma and Smt. Krishna Tirath be suspended from the House for a period of Two Weeks.

19. The Committee places on record its high sense of appreciation of the forbearance and dignity with which the Hon'ble Speaker conducted himself under the circumstances aforesaid.

(CH. FATEH SINGH)
CHAIRMAN
COMMITTEE OF PRIVILEGES